

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा
किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन –दलहन स्कीम के हरियाणा के सभी जिलों (22 जिले) में उन्नत तकनीक पर मसूर के समूह प्रदर्शन प्लाट पर अनुदान किसानों को दिया जाना है। अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वैबसाईट <http://agriharyana.org> में Agri schemes Governance link पर आनलाइन आवेदन दिनांक 15–12–2023 तक कर सकते हैं।

उन्नत तकनीक पर मसूर के समूह प्रदर्शन प्लाट पर ₹0 3600/- एकड़ सामान्य वर्ष /20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/30 प्रतिशत महिला किसान/33 प्रतिशत लधु एवम् सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध हैं।

District Wise Physical & Financial targets for NFSM- Pulses (Cluster Demonstrations on improved technology- Lentil) during the year Rabi- 2023-24(Assistance @ Rs. 3600/- acre)							
Sr. No.	Distt	Total		General Category		SC Category	
		Phy. (in acre)	Fin. (Rs. in Lakhs)	Phy. (in acre)	Fin. (Rs. in Lakhs)	Phy. (in acre)	Fin. (Rs. in Lakhs)
1	Ambala	40	1.44	32	1.15	8	0.29
2	Bhiwani	10	0.36	8	0.29	2	0.07
3	C.Dadri	10	0.36	8	0.29	2	0.07
4	Faridabad	10	0.36	8	0.29	2	0.07
5	Fatehabad	10	0.36	8	0.29	2	0.07
6	Gurugram	10	0.36	8	0.29	2	0.07
7	Hisar	20	0.72	16	0.58	4	0.14
8	Jhajjar	10	0.36	8	0.29	2	0.07
9	Jind	10	0.36	8	0.29	2	0.07
10	Kaithal	25	0.90	20	0.72	5	0.18
11	Karnal	25	0.90	20	0.72	5	0.18
12	Kurukshetra	20	0.72	16	0.58	4	0.14
13	M/garh	40	1.44	32	1.15	8	0.29
14	Mewat	20	0.72	16	0.58	4	0.14
15	Palwal	10	0.36	8	0.29	2	0.07
16	Panchkula	20	0.72	16	0.58	4	0.14
17	Panipat	10	0.36	8	0.29	2	0.07
18	Rewari	10	0.36	8	0.29	2	0.07
19	Rohtak	10	0.36	8	0.29	2	0.07
20	Sirsa	20	0.72	16	0.58	4	0.14
21	Sonipat	10	0.36	8	0.29	2	0.07
22	Y.Nagar	25	0.90	20	0.72	5	0.18
Total		375	13.50	300.00	10.80	75.00	2.70

विशेष दिशा निर्देशः—

1. एक किसान अधिकतम 2.5 एकड़ का लाभ ले सकता है।
2. 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/महिला किसान/लघु एवं सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।
3. किसान उपरोक्त मद मे प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन <http://agriharyana.org> under the E-Agri Schemes Governance link पर करवाएगा और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशो के अनुसार सरकारी/ अर्ध सरकारी/सहकारी समीति या अधिकृत विक्रेता से खरीद कर रसीद सम्बद्धित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी/खण्ड कृषि अधिकारी/उपमण्डल कृषि अधिकारी/उप कृषि निदेशक के कार्यालय से सम्पर्क करें।

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा
किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन –दलहन स्कीम के हरियाणा के सभी जिलों (22 जिले) में उन्नत तकनीक पर चने के समूह प्रदर्शन प्लाट पर अनुदान किसानों को दिया जाना है। अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वैबसाईट <http://agriharyana.org> में Agri schemes Governance link पर आनलाइन आवेदन दिनांक 15–12–2023 तक कर सकते हैं।

उन्नत तकनीक पर चने के समूह प्रदर्शन प्लाट पर ₹0 3600/- एकड़ सामान्य वर्ण /20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/30 प्रतिशत महिला किसान/33 प्रतिशत लधु एवम् सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध हैं।

District Wise Physical & Financial targets for NFSM- Pulses- (Cluster Demonstrations on improved technology- Gram) Rabi 2023-24 (Assistance @ Rs. 3600/- acre)							
Sr. No.	Distt	Total		General Category		SC Category	
		Phy. (in acre)	Fin. (Rs. in Lakhs)	Phy. (in acre)	Fin. (Rs. in Lakhs)	Phy. (in acre)	Fin. (Rs. in Lakhs)
1	Ambala	80	2.88	64	2.30	16	0.58
2	Bhiwani	165	5.94	132	4.75	33	1.19
3	C.Dadri	100	3.60	80	2.88	20	0.72
4	Faridabad	70	2.52	56	2.02	14	0.50
5	Fatehabad	100	3.60	80	2.88	20	0.72
6	Gurugram	70	2.52	56	2.02	14	0.50
7	Hisar	160	5.76	128	4.61	32	1.15
8	Jhajjar	100	3.60	80	2.88	20	0.72
9	Jind	80	2.88	64	2.30	16	0.58
10	Kaithal	70	2.52	56	2.02	14	0.50
11	Karnal	90	3.24	72	2.59	18	0.65
12	Kurukshtetra	70	2.52	56	2.02	14	0.50
13	M/garh	140	5.04	112	4.03	28	1.01
14	Mewat	100	3.60	80	2.88	20	0.72
15	Palwal	70	2.52	56	2.02	14	0.50
16	Panchkula	90	3.24	72	2.59	18	0.65
17	Panipat	70	2.52	56	2.02	14	0.50
18	Rewari	70	2.52	56	2.02	14	0.50
19	Rohtak	110	3.96	88	3.17	22	0.79
20	Sirsa	170	6.12	136	4.90	34	1.22
21	Sonipat	70	2.52	56	2.02	14	0.50
22	Y.Nagar	80	2.88	64	2.30	16	0.58
Total		2125	76.50	1700	61.20	425	15.30

विशेष दिशा निर्देशः—

1. एक किसान अधिकतम 2.5 एकड़ का लाभ ले सकता है।
2. 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/महिला किसान/लघु एवं सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।
3. किसान उपरोक्त मद मे प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन <http://agriharyana.org> under the E-Agri Schemes Governance link पर करवाएगा और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशो के अनुसार सरकारी/ अर्ध सरकारी/सहकारी समीति या अधिकृत विक्रेता से खरीद कर रसीद सम्बद्धित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी/खण्ड कृषि अधिकारी/उपमण्डल कृषि अधिकारी/उप कृषि निदेशक के कार्यालय से सम्पर्क करें।

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा
किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन –दलहन स्कीम के हरियाणा के सभी जिलों (22 जिले) में 10 वर्षों से कम मसूर के बीज वितरण पर अनुदान किसानों को दिया जाना है। अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वैबसाईट <http://agriharyana.org> में Agri schemes Governance link पर आनलाइन आवेदन दिनांक 15–12–2023 तक कर सकते हैं।

10 वर्षों से कम मसूर के बीज वितरण ₹0 5000 / किवंटल सामान्य वर्ण / 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति / 30 प्रतिशत महिला किसान / 33 प्रतिशत लधु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध हैं।

District Wise Physical & Financial targets for NFSM- Pulses Less than 10 year for Lentil Certified Seed Distribution (Assistant Rs. 5000/qlt. or 50 % of the cost whichever is less) during Rabi 2023-24							
Sr. No.	Distt	Total		General Category		SC Category	
		Phy. (in qtl.)	Fin. (Rs. in Lakhs)	Phy. (in qtl.)	Fin. (Rs. in Lakhs)	Phy. (in qtl.)	Fin. (Rs. in Lakhs)
1	Ambala	4	0.20	3	0.15	1	0.05
2	Bhiwani	5	0.25	4	0.20	1	0.05
3	C.Dadri	4	0.20	3	0.15	1	0.05
4	Faridabad	5	0.25	4	0.20	1	0.05
5	Fatehabad	5	0.25	4	0.20	1	0.05
6	Gurugram	4	0.20	3	0.15	1	0.05
7	Hisar	5	0.25	4	0.20	1	0.05
8	Jhajjar	4	0.20	3	0.15	1	0.05
9	Jind	4	0.20	3	0.15	1	0.05
10	Kaithal	4	0.20	3	0.15	1	0.05
11	Karnal	5	0.25	4	0.20	1	0.05
12	Kurukshetra	4	0.20	3	0.15	1	0.05
13	M/garh	5	0.25	4	0.20	1	0.05
14	Mewat	4	0.20	3	0.15	1	0.05
15	Palwal	4	0.20	3	0.15	1	0.05
16	Panchkula	5	0.25	4	0.20	1	0.05
17	Panipat	5	0.25	4	0.20	1	0.05
18	Rewari	5	0.25	4	0.20	1	0.05
19	Rohtak	5	0.25	4	0.20	1	0.05
20	Sirsa	4	0.20	3	0.15	1	0.05
21	Sonipat	5	0.25	4	0.20	1	0.05
22	Y.Nagar	5	0.25	4	0.20	1	0.05
Total		100	5.00	78	3.90	22	1.10

विशेष दिशा निर्देषः—

1. एक किसान को अधिकतम 2.5 एकड़ का लाभ दिया जाएगा।
2. 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/महिला किसान/लघु एवम् सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।
3. किसान उपरोक्त मद मे प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन <http://agriharyana.org> under the E-Agri Schemes Governance link पर करवाएगा और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशो के अनुसार /सरकारी/ अर्ध सरकारी/सहकारी समीति से खरीद कर रसीद सम्बन्धित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी/खण्ड कृषि [अधिकारी/उपमण्डल कृषि अधिकारी](#)/उप कृषि निदेशक के कार्यालय से सम्पर्क करें।

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा
किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन –दलहन स्कीम के हरियाणा के सभी जिलों (22 जिलों) में 10 वर्षों से कम चने के बीज वितरण पर अनुदान किसानों को दिया जाना है। अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वेबसाईट <http://agriharyana.org> में Agri schemes Governance link पर आनलाइन आवेदन दिनांक 15–12–2023 तक कर सकते हैं।

10 वर्षों से कम चने के बीज वितरण ₹0 5000/ किवंटल सामान्य वर्ण /20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/30 प्रतिशत महिला किसान/33 प्रतिशत लधु एवम् सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध हैं।

District Wise Physical & Financial targets for NFSM- Pulses Less than 10 year for Gram Certified Seed Distribution (Assistant Rs. 5000/qtl. or 50 % of the cost whichever is less) during Rabi 2023-24							
Sr. No.	Distt	Total		General Category		SC Category	
		Phy. (in qtl.)	Fin. (Rs. in Lakh)	Phy. (in qtl.)	Fin. (Rs. in Lakh)	Phy. (in qtl.)	Fin. (Rs. in Lakh)
1	Ambala	10	0.50	8	0.40	2	0.10
2	Bhiwani	120	6.00	96	4.80	24	1.20
3	C.Dadri	40	2.00	32	1.60	8	0.40
4	Faridabad	10	0.50	8	0.40	2	0.10
5	Fatehabad	60	3.00	48	2.40	12	0.60
6	Gurugram	10	0.50	8	0.40	2	0.10
7	Hisar	110	5.50	88	4.40	22	1.10
8	Jhajjar	60	3.00	48	2.40	12	0.60
9	Jind	10	0.50	8	0.40	2	0.10
10	Kaithal	10	0.50	8	0.40	2	0.10
11	Karnal	10	0.50	8	0.40	2	0.10
12	Kurukshetra	10	0.50	8	0.40	2	0.10
13	M/garh	70	3.50	56	2.80	14	0.70
14	Mewat	50	2.50	40	2.00	10	0.50
15	Palwal	10	0.50	8	0.40	2	0.10
16	Panchkula	50	2.50	40	2.00	10	0.50
17	Panipat	10	0.50	8	0.40	2	0.10
18	Rewari	10	0.50	8	0.40	2	0.10
19	Rohtak	50	2.50	40	2.00	10	0.50
20	Sirsa	70	3.50	56	2.80	14	0.70
21	Sonipat	10	0.50	8	0.40	2	0.10
22	Y.Nagar	10	0.50	8	0.40	2	0.10
Total		800	40.00	640	32.00	160	8.00

विशेष दिशा निर्देषः—

1. एक किसान को अधिकतम 2.5 एकड़ का लाभ दिया जाएगा।
2. 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/महिला किसान/लधु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।
3. किसान उपरोक्त मद मे प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन <http://agriharyana.org> under the link E-Agri Schemes Governance link पर करवाएगा और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशो के अनुसार /सरकारी/ अर्ध सरकारी/सहकारी समीति से खरीद कर रसीद सम्बधित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी/खण्ड कृषि [अधिकारी/उपमण्डल कृषि अधिकारी](#)/उप कृषि निदेशक के कार्यालय से सम्पर्क करें।

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा
किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन –दलहन स्कीम के हरियाणा के (17 जिलों) अम्बाला, भिवानी, गुरुग्राम, हिसार, झज्जर, जीन्द, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, महेन्द्रगढ़, मेवात, पलवल, पंचकूला, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा व यमुनानगर में 10 वर्षों से अधिक मसूर के बीज वितरण पर अनुदान किसानों को दिया जाना है। अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वैबसाईट <http://agriharyana.org> में Agri schemes Governance link पर आनलाइन आवेदन दिनांक 15–12–2023 तक कर सकते हैं।

10 वर्षों से अधिक मसूर के बीज वितरण ₹0 2500 / किवंटल सामान्य वर्ण / 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति / 30 प्रतिशत महिला किसान / 33 प्रतिशत लघु एवम् सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध हैं।

District Wise Physical & Financial targets for NFSM- Pulses more than 10 year for Certified Seed Distribution-Lentil Rabi 2023-24 (Assistant Rs. 2500/qtl. or 50 % of the cost whichever is less)							
Sr. No.	Distt	Total		General Category		SC Category	
		Phy. (in qtl.)	Fin. (Rs. in Lakh)	Phy. (in qtl.)	Fin. (Rs. in Lakh)	Phy. (in qtl.)	Fin. (Rs. in Lakh)
1	Ambala	4	0.100	3	0.075	1	0.025
2	Bhiwani	5	0.125	4	0.100	1	0.025
3	Gurugram	4	0.100	3	0.075	1	0.025
4	Hisar	4	0.100	3	0.075	1	0.025
5	Jhajjar	4	0.100	3	0.075	1	0.025
6	Jind	4	0.100	3	0.075	1	0.025
7	Kaithal	4	0.100	3	0.075	1	0.025
8	Karnal	4	0.100	3	0.075	1	0.025
9	Kurukshetra	4	0.100	3	0.075	1	0.025
10	M/garh	4	0.100	3	0.075	1	0.025
11	Mewat	4	0.100	3	0.075	1	0.025
12	Palwal	4	0.100	3	0.075	1	0.025
13	Panchkula	4	0.100	3	0.075	1	0.025
14	Rewari	4	0.100	3	0.075	1	0.025
15	Rohtak	5	0.125	4	0.100	1	0.025
16	Sirsa	4	0.100	3	0.075	1	0.025
17	Y.Nagar	4	0.100	3	0.075	1	0.025
Total		70	1.750	53	1.325	17	0.425

विशेष दिशा निर्देषः—

1. एक किसान को अधिकतम 2.5 एकड़ का लाभ दिया जाएगा।
2. 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/महिला किसान/लधु एवं सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।
3. किसान उपरोक्त मद मे प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन <http://agriharyana.org> under the E-Agri Schemes Governance link पर करवाएगा और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशो के अनुसार /सरकारी/ अर्ध सरकारी/सहकारी समीति से खरीद कर रसीद सम्बंधित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी/खण्ड कृषि [अधिकारी/उपमण्डल कृषि अधिकारी](#)/उप कृषि निदेशक के कार्यालय से सम्पर्क करें।

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा
किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन –दलहन स्कीम के हरियाणा के सभी जिलों (22 जिले) में 10 वर्षों से अधिक चने के बीज वितरण पर अनुदान किसानों को दिया जाना है। अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वैबसाईट <http://agriharyana.org> में Agri schemes Governance link पर आनलाइन आवेदन दिनांक 15–12–2023 तक कर सकते हैं।

10 वर्षों से अधिक चने के बीज वितरण ₹0 2500 / किंवंटल सामान्य वर्ण / 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति / 30 प्रतिशत महिला किसान / 33 प्रतिशत लधु एवम् सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध हैं।

District Wise Physical & Financial targets for NFSM- Pulses More than 10 year for Certified Seed Distribution-Gram Rabi 2023-24 (Assistant Rs. 2500/qtl. or 50 % of the cost whichever is less)

Sr. No.	Distt	Total		General Category		SC Category	
		Phy. (in qtl.)	Fin. (Rs. in Lakh)	Phy. (in qtl.)	Fin. (Rs. in Lakh)	Phy. (in qtl.)	Fin. (Rs. in Lakh)
1	Ambala	5	0.13	4	0.10	1	0.03
2	Bhiwani	20	0.50	16	0.40	4	0.10
3	Ch.Dadri	10	0.25	8	0.20	2	0.05
4	Faridabad	5	0.13	4	0.10	1	0.03
5	Fatehabad	10	0.25	8	0.20	2	0.05
6	Gurugram	5	0.13	4	0.10	1	0.03
7	Hisar	17	0.43	13	0.33	4	0.10
8	Jhajjar	10	0.25	8	0.20	2	0.05
9	Jind	5	0.13	4	0.10	1	0.03
10	Kaithal	5	0.13	4	0.10	1	0.03
11	Karnal	5	0.13	4	0.10	1	0.03
12	Kurukshetra	5	0.13	4	0.10	1	0.03
13	M/garh	10	0.25	8	0.20	2	0.05
14	Mewat	10	0.25	8	0.20	2	0.05
15	Palwal	5	0.13	4	0.10	1	0.03
16	Panchkula	10	0.25	8	0.20	2	0.05
17	Panipat	5	0.13	4	0.10	1	0.03
18	Rewari	5	0.13	4	0.10	1	0.03
19	Rohtak	10	0.25	8	0.20	2	0.05
20	Sirsa	20	0.50	16	0.40	4	0.10
21	Sonipat	5	0.13	4	0.10	1	0.03
22	Y.Nagar	5	0.13	4	0.10	1	0.03
Total		187	4.675	149	3.725	38	0.95

विशेष दिशा निर्देषः—

1. एक किसान को अधिकतम 2.5 एकड़ का लाभ दिया जाएगा।
2. 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/महिला किसान/लधु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।
3. किसान उपरोक्त मद मे प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन <http://agriharyana.org> under the link E-Agri Schemes Governance link पर करवाएगा और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशो के अनुसार /सरकारी/ अर्ध सरकारी/सहकारी समीति से खरीद कर रसीद सम्बधित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी/खण्ड कृषि [अधिकारी/उपमण्डल कृषि अधिकारी](#)/उप कृषि निदेशक के कार्यालय से सम्पर्क करें।

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा
किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन –दलहन स्कीम के अन्तर्गत हरियाणा के सभी जिलों में सूक्ष्म तत्व के वितरण पर अनुदान किसानों को दिया जाना है। अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वैबसाईट <http://agriharyana.org> में Agri schemes Governance link पर आनलाइन आवेदन दिनांक 25–02–2024 तक कर सकते हैं।

सूक्ष्म तत्व के वितरण पर ₹ 200 / एकड़ सामान्य वर्ण / 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति / 30 प्रतिशत महिला किसान / 33 प्रतिशत लधु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध हैं।

District Wise Physical Financial targets for distribution of Micronutrient under NFSM- Pulses Rabi-2023-24 (Assistance @ Rs. 200/ acre or 50% of the cost whichever is less.)						
Sr. No	Distt	Total		General Category		SC Category
		Phy. (in acre)	Fin. (Rs. in lakh)	Phy. (in acre)	Fin. (Rs. in lakh)	Phy. (in acre)
1	Ambala	100	0.20	80	0.16	20
2	Bhiwani	340	0.68	272	0.54	68
3	C.Dadri	200	0.40	160	0.32	40
4	Faridabad	200	0.40	160	0.32	40
5	Fatehabad	250	0.50	200	0.40	50
6	Gurugram	200	0.40	160	0.32	40
7	Hisar	250	0.50	200	0.40	50
8	Jhajjar	250	0.50	200	0.40	50
9	Jind	250	0.50	200	0.40	50
10	Kaithal	250	0.50	200	0.40	50
11	Karnal	250	0.50	200	0.40	50
12	Kuk	250	0.50	200	0.40	50
13	M.Garh	250	0.50	200	0.40	50
14	Mewat	245	0.49	196	0.39	49
15	Palwal	240	0.48	192	0.38	48
16	Panchkula	200	0.40	160	0.32	40
17	Panipat	200	0.40	160	0.32	40
18	Rewari	240	0.48	192	0.38	48
19	Rohtak	240	0.48	192	0.38	48
20	Sirsa	240	0.48	192	0.38	48
21	Sonipat	240	0.48	192	0.38	48
22	Y.Nagar	240	0.48	192	0.38	48
Total		5125	10.25	4100	8.20	1025
						2.05

विशेष दिशा निर्देषः—

1. एक किसान को अधिकतम 2.5 एकड़ का लाभ दिया जाएगा।
2. 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/महिला किसान/लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।
3. किसान उपरोक्त मद मे प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन <http://agriharyana.org> under the E-Agri Schemes Governance link पर करवाएगा और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशों के अनुसार सरकारी/ अर्ध सरकारी/सहकारी समीति या अधिकृत विक्रेता से खरीद कर रसीद सम्बंधित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी/खण्ड कृषि [अधिकारी/उपमण्डल कृषि अधिकारी](#)/उप कृषि निदेशक के कार्यालय से सम्पर्क करें।

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा
किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन –दलहन स्कीम के अन्तर्गत हरियाणा के सभी जिलों में जैविक खाद के वितरण पर अनुदान किसानों को दिया जाना है। अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वैबसाईट <http://agriharyana.org> में Agri schemes Governance link पर आनलाइन आवेदन दिनांक 25–02–2024 तक कर सकते हैं।

जैविक खाद के वितरण पर ₹ 120/- एकड़ सामान्य वर्ष /20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/30 प्रतिशत महिला किसान/33 प्रतिशत लधु एवं सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध हैं।

District Wise Physical Financial targets for distribution of Bio-Fertilizer under NFSM- Pulses Rabi 2023-24 (Assistance @ Rs. 120/ acre or 50% of the cost whichever is less.)							
Sr. No	Distt	Total		General Category		SC Category	
		Phy. (in acre)	Fin. (Rs. in lakh)	Phy. (in acre)	Fin. (Rs. in lakh)	Phy. (in acre)	Fin. (Rs. in lakh)
1	Ambala	200	0.24	160	0.19	40	0.05
2	Bhiwani	350	0.42	280	0.34	70	0.08
3	C.Dadri	200	0.24	160	0.19	40	0.05
4	Faridabad	150	0.18	120	0.14	30	0.04
5	Fatehabad	200	0.24	160	0.19	40	0.05
6	Gurugram	150	0.18	120	0.14	30	0.04
7	Hisar	250	0.30	200	0.24	50	0.06
8	Jhajjar	200	0.24	160	0.19	40	0.05
9	Jind	200	0.24	160	0.19	40	0.05
10	Kaithal	200	0.24	160	0.19	40	0.05
11	Karnal	200	0.24	160	0.19	40	0.05
12	Kuk	200	0.24	160	0.19	40	0.05
13	M.Garh	200	0.24	160	0.19	40	0.05
14	Mewat	200	0.24	160	0.19	40	0.05
15	Palwal	200	0.24	160	0.19	40	0.05
16	Panchkula	150	0.18	120	0.14	30	0.04
17	Panipat	150	0.18	120	0.14	30	0.04
18	Rewari	200	0.24	160	0.19	40	0.05
19	Rohtak	150	0.18	120	0.14	30	0.04
20	Sirsa	250	0.30	200	0.24	50	0.06
21	Sonipat	250	0.30	200	0.24	50	0.06
22	Y.Nagar	250	0.30	200	0.24	50	0.06
	Total	4500	5.40	3600	4.32	900	1.08

विशेष दिशा निर्देषः—

1. एक किसान को अधिकतम 2.5 एकड़ का लाभ दिया जाएगा।
2. 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/महिला किसान/लघु एवं सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।
3. किसान उपरोक्त मद मे प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन <http://agriharyana.org> under the E-Agri Schemes Governance link पर करवाएगा और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशो के अनुसार सरकारी/ अर्ध सरकारी/सहकारी समीति या अधिकृत विक्रेता से खरीद कर रसीद सम्बंधित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी/खण्ड कृषि अधिकारी/उपमण्डल कृषि अधिकारी/उप कृषि निदेशक के कार्यालय से सम्पर्क करें।

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा
किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन –दलहन स्कीम के अन्तर्गत हरियाणा के सभी जिलों में पौध सरक्षण रसायन के वितरण पर अनुदान किसानों को दिया जाना है। अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वैबसाईट <http://agriharyana.org> में Agri schemes Governance link पर आनलाइन आवेदन दिनांक 25–02–2024 तक कर सकते हैं।

पौध सरक्षण रसायन के वितरण पर ₹ 200 / एकड़ सामान्य वर्ण / 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति / 30 प्रतिशत महिला किसान / 33 प्रतिशत लधु एवं सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध हैं।

District Wise Physical Financial targets for distribution of PP Chemical under NFSM- Pulses Rabi 2023-24 (Assistance @ Rs. 200/ acre or 50% of the cost whichever is less.)							
Sr. No	Distt	Total		General Category		SC Category	
		Phy. (in acre)	Fin. (Rs. in lakh)	Phy. (in acre)	Fin. (Rs. in lakh)	Phy. (in acre)	Fin. (Rs. in lakh)
1	Ambala	200	0.40	160	0.32	40	0.08
2	Bhiwani	370	0.74	296	0.59	74	0.15
3	C.Dadri	240	0.48	192	0.38	48	0.10
4	Faridabad	200	0.40	160	0.32	40	0.08
5	Fatehabad	280	0.56	224	0.45	56	0.11
6	Gurugram	200	0.40	160	0.32	40	0.08
7	Hisar	275	0.55	220	0.44	55	0.11
8	Jhajjar	290	0.58	232	0.46	58	0.12
9	Jind	250	0.50	200	0.40	50	0.10
10	Kaithal	250	0.50	200	0.40	50	0.10
11	Karnal	250	0.50	200	0.40	50	0.10
12	Kuk	250	0.50	200	0.40	50	0.10
13	M.Garh	300	0.60	240	0.48	60	0.12
14	Mewat	250	0.50	200	0.40	50	0.10
15	Palwal	250	0.50	200	0.40	50	0.10
16	Panchkula	200	0.40	160	0.32	40	0.08
17	Panipat	200	0.40	160	0.32	40	0.08
18	Rewari	250	0.50	200	0.40	50	0.10
19	Rohtak	270	0.54	216	0.43	54	0.11
20	Sirsa	250	0.50	200	0.40	50	0.10
21	Sonipat	300	0.60	240	0.48	60	0.12
22	Y.Nagar	300	0.60	240	0.48	60	0.12
Total		5625	11.25	4500	9.00	1125	2.25

विशेष दिशा निर्देश:-

1. एक किसान को अधिकतम 2.5 एकड़ का लाभ दिया जाएगा।
2. 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/महिला किसान/लघु एवं सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।
3. किसान उपरोक्त मद मे प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन <http://agriharyana.org> under the E-Agri Schemes Governance link पर करवाएगा और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशो के अनुसार सरकारी/ अर्ध सरकारी/सहकारी समीति या अधिकृत विक्रेता से खरीद कर रसीद सम्बंधित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी/खण्ड कृषि [अधिकारी/उपमण्डल कृषि अधिकारी](#)/उप कृषि निदेशक के कार्यालय से सम्पर्क करें।

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा
किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन –दलहन स्कीम के अन्तर्गत हरियाणा के सभी जिलों (22 जिलें) में खरपतवार नाशी के वितरण पर अनुदान किसानों को दिया जाना है। अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वैबसाईट <http://agriharyana.org> में Agri schemes Governance link पर आनलाइन आवेदन दिनांक 25–02–2024 तक कर सकते हैं।

खरपतवार नाशी के वितरण पर ₹ 200/- एकड़ सामान्य वर्ण / 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति / 30 प्रतिशत महिला किसान / 33 प्रतिशत लधु एवं सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध हैं।

District Wise Physical Financial targets for distribution of Weedicide under NFSM- Pulses Rabi 2023-24 (Assistance @ Rs. 200/ acre or 50% of the cost whichever is less.)						
Sr. No	Distt	Total		General Category		SC Category
		Phy. (in acre)	Fin. (Rs. in lakh)	Phy. (in acre)	Fin. (Rs. in lakh)	Phy. (in acre)
1	Ambala	200	0.40	160	0.32	40
2	Bhiwani	370	0.74	296	0.59	74
3	C.Dadri	240	0.48	192	0.38	48
4	Faridabad	200	0.40	160	0.32	40
5	Fatehabad	280	0.56	224	0.45	56
6	Gurugram	200	0.40	160	0.32	40
7	Hisar	275	0.55	220	0.44	55
8	Jhajjar	290	0.58	232	0.46	58
9	Jind	250	0.50	200	0.40	50
10	Kaithal	250	0.50	200	0.40	50
11	Karnal	250	0.50	200	0.40	50
12	KKR	250	0.50	200	0.40	50
13	M.Garh	300	0.60	240	0.48	60
14	Mewat	250	0.50	200	0.40	50
15	Palwal	250	0.50	200	0.40	50
16	Panchkula	200	0.40	160	0.32	40
17	Panipat	200	0.40	160	0.32	40
18	Rewari	250	0.50	200	0.40	50
19	Rohtak	270	0.54	216	0.43	54
20	Sirsa	250	0.50	200	0.40	50
21	Sonipat	300	0.60	240	0.48	60
22	Y.Nagar	300	0.60	240	0.48	60
Total		5625	11.25	4500	9.00	1125
						2.25

विशेष दिशा निर्देषः—

- 1 एक किसान को अधिकतम 2.5 एकड़ का लाभ दिया जाएगा।
- 2 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/महिला किसान/लघु एवं सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।
3. किसान उपरोक्त मद मे प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन <http://agriharyana.org> under the E-Agri Schemes Governance link पर करवाएगा और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशो के अनुसार सरकारी/ अर्ध सरकारी/सहकारी समीति या अधिकृत विक्रेता से खरीद कर रसीद सम्बंधित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी/खण्ड कृषि अधिकारी/उपमण्डल कृषि अधिकारी/उप कृषि निदेशक के कार्यालय से सम्पर्क करें।

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा
किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन –दलहन स्कीम के अन्तर्गत हरियाणा के सभी जिलों में हस्त चलित स्प्रे पम्प के वितरण पर अनुदान किसानों को दिया जाना है। अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वैबसाईट <http://agriharyana.org> में Agri schemes Governance link पर आनलाइन आवेदन दिनांक 25–02–2024 तक कर सकते हैं।

हस्त चलित स्प्रे पम्प के वितरण पर ₹0 600/ प्रति पम्प सामान्य वर्ण /20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/30 प्रतिशत महिला किसान/33 प्रतिशत लधु एवम् सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध हैं।

District Wise Physical Financial targets for distribution of Farm Implements and equipments (Manual Sprayers) under NFSM- Pulses Rabi 2023-24 (Assistance @ Rs. 600/ unit.)						
Sr. No	Distt	Total		General Category		SC Category
		Phy. (in acre)	Fin. (Rs. in lakh)	Phy. (in acre)	Fin. (Rs. in lakh)	Phy. (in acre)
1	Ambala	5	0.03	4	0.02	1
2	Bhiwani	20	0.12	16	0.10	4
3	C.Dadri	10	0.06	8	0.05	2
4	Faridabad	10	0.06	8	0.05	2
5	Fatehabad	10	0.06	8	0.05	2
6	Gurugram	5	0.03	4	0.02	1
7	Hisar	10	0.06	8	0.05	2
8	Jhajjar	10	0.06	8	0.05	2
9	Jind	10	0.06	8	0.05	2
10	Kaithal	10	0.06	8	0.05	2
11	Karnal	10	0.06	8	0.05	2
12	Kuk	10	0.06	8	0.05	2
13	M.Garh	10	0.06	8	0.05	2
14	Mewat	10	0.06	8	0.05	2
15	Palwal	5	0.03	4	0.02	1
16	Panchkula	5	0.03	4	0.02	1
17	Panipat	5	0.03	4	0.02	1
18	Rewari	10	0.06	8	0.05	2
19	Rohtak	10	0.06	8	0.05	2
20	Sirsa	10	0.06	8	0.05	2
21	Sonipat	5	0.03	4	0.02	1
22	Y.Nagar	10	0.06	8	0.05	2
Total		200	1.20	160	0.96	40
						0.24

विशेष दिशा निर्देषः—

- 1 एक किसान को अधिकतम 1 स्प्रे पम्प का लाभ दिया जाएगा।
- 2 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/महिला किसान/लघु एवम् सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।
- 3 किसान उपरोक्त मद मे प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन <http://agriharyana.org> under the E-Agri Schemes Governance link पर करवाएगा और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशों के अनुसार सरकारी/ अर्ध सरकारी/सहकारी समीति या अधिकृत विक्रेता से खरीद कर रसीद सम्बंधित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय से सम्पर्क करें। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी/खण्ड कृषि [अधिकारी/उपमण्डल कृषि अधिकारी](#)/उप कृषि निदेशक के कार्यालय से सम्पर्क करें।

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन –दलहन स्कीम के अन्तर्गत हरियाणा के सभी जिलों में बैटरी/मोटर चलित स्प्रे पम्प के वितरण पर अनुदान किसानों को दिया जाना है। अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वैबसाईट <http://agriharyana.org> में Agri schemes Governance link पर आनलाइन आवेदन दिनांक 25–02–2024 तक कर सकते हैं।

बैटरी / मोटर चलित स्प्रे पम्प के वितरण पर ₹0 3000 / प्रति पम्प सामान्य वर्ण / 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति / 30 प्रतिशत महिला किसान / 33 प्रतिशत लधु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध हैं।

District Wise Physical Financial targets for distribution of Farm Implements and equipments (Power Knap sack Sprayer) under NFSM- Pulses Rabi 2023-24 (Assistance @ Rs. 3000/ unit.)						
Sr. No	Distt	Total		General Category		SC Category
		Phy. (in acre)	Fin. (Rs. in lakh)	Phy. (in acre)	Fin. (Rs. in lakh)	Phy. (in acre)
1	Ambala	5	0.15	4	0.12	1
2	Bhiwani	23	0.69	18	0.55	5
3	C.Dadri	10	0.30	8	0.24	2
4	Faridabad	10	0.30	8	0.24	2
5	Fatehabad	10	0.30	8	0.24	2
6	Gurugram	10	0.30	8	0.24	2
7	Hisar	15	0.45	12	0.36	3
8	Jhajjar	10	0.30	8	0.24	2
9	Jind	10	0.30	8	0.24	2
10	Kaithal	10	0.30	8	0.24	2
11	Karnal	10	0.30	8	0.24	2
12	Kuk	10	0.30	8	0.24	2
13	M.Garh	10	0.30	8	0.24	2
14	Mewat	10	0.30	8	0.24	2
15	Palwal	5	0.15	4	0.12	1
16	Panchkula	5	0.15	4	0.12	1
17	Panipat	5	0.15	4	0.12	1
18	Rewari	10	0.30	8	0.24	2
19	Rohtak	15	0.45	12	0.36	3
20	Sirsa	15	0.45	12	0.36	3
21	Sonipat	5	0.15	4	0.12	1
22	Y.Nagar	10	0.30	8	0.24	2
	Total	223	6.69	178	5.35	45
						1.34

विशेष दिशा निर्देषः—

- 1 एक किसान को अधिकतम 1 स्प्रे पम्प का लाभ दिया जाएगा।
- 2 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/महिला किसान/लधु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।
- 3 किसान उपरोक्त मद मे प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन <http://agriharyana.org> under the E-Agri Schemes Governance link पर करवाएगा और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशो के अनुसार सरकारी/ अर्ध सरकारी/सहकारी समीति या अधिकृत विक्रेता से खरीद कर रसीद सम्बंधित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी/खण्ड कृषि अधिकारी/उपमण्डल कृषि अधिकारी/उप कृषि निदेशक के कार्यालय से सम्पर्क करें।

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा